04.12.24

पत्रावली पहले निर्णय पेश हुई। उक्त प्रक-
रण वादी वादीगण किस्मत सिंह पवार वगैरह
विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर पारा-
शामिल सिंह गगन सिंह पवार में आज-
के नाम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2018/00237

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस

वाद सं0 92/2018 GCMS:- 2018/00237 दायरा दिनांक 22.05.2018

1. मु– छिन्दो बाई पत्नी बूटासिंह पुत्र बचनसिंह जाती रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मायाबाई
3. गुरमेजसिंह
4. राजूसिंह

पुत्र/पुत्रीया स्व. बूटासिंह पुत्र श्री बचनसिंह जाति रायसिंख निवासी चक 48 एफ तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर नाबालिंग जरिये वली माता छिन्दो पत्नी स्वं. बूटासिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।

–वादीगण

बनाम

1. बचनसिह पुत्र दरियासिंह जाति रायसिख निवासी चक 39 एम.ओ.डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. भागसिंह पुत्र बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 39 एम.ओ.डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. मु. सीमा पत्नी गुरमीतसिंह पुत्री श्री बचनसिंह जाति रायसिंख निवासी 15 ए. तहसील व जिला अनुपगढ़।
4. मु. प्रकाशकौर पत्नी छिन्दासिंह पुत्री बचनसिंह जाति रायसिख निवासी 13 के.एन.डी तहसील रावला जिला अनुपगढ़।
5. उप पंजीयक साहब सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सर्वजीत छावड़ा (अभिभाषक वादी)
2. श्री भगवानदत शर्मा (अभिभाषक प्रतिवादी स0 1, 3, 4)
3. श्री सुखदर्शन सिंह (अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2)
4. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ (पैरोकार राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

### निर्णय

दिनांक 04.12.2024

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया सक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 आर.टी.ए इस आधार पर प्रस्तुत किया कि चक 39 एम.ओ.डी के खाता सं0 73/90 पं0नं0 59/263 में 0.759 है0 नहरी, पं0न0 59/264 में0.3800 है0 कुल 1.1350 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं0 1 बचनसिंह के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। यह भूमि पेतृक बतौर वारिस बचन सिंह को प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा का हक हिन्दू सहदायी होने से बनता है। उक्त भूमि में प्रति[illegible] घोषित कर खाता विभाजन कर प्रतिवादी को पाबन्द किया [illegible] कि [illegible]भाजित हिस्से में प्रतिवादी हस्तक्षेप ना करें।

वाद प्राप्त होने प[illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के अभिभाषक उपस्[illegible] आये व जवाब प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं0 2 का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। बाद आने जवाब निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

– लगातार 2 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1. आया वाके चक 39 एम.ओ.डी का खाता सं0 73/90 का प0न0 59/243 में 0.759 है0, पं0न0 59/264 में 0.380 है0 कुल 1.139 है0 नहरी खातेदारी भूमि पेतृक भूमि है जो दरिया सिंह पुत्र बघावासिंह से प्राप्त हुई है। भूमि सहदायी है ? —वादी
2. आया वादीगण मृतक बूटासिह नं0 1 प्रतिवादीनं0 1 बचनसिंह के वंशज है का 1/9 हिस्सा पेतृक भूमि में बनता है व प्राप्त करने के अधिकारी है ? —वादी
3. आया वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर पाबन्द करवाने के अधिकारी है ? —वादी
4. आया वादीगण वाद अन्तर्गत भूमि जो पेतृक भूमि है से अच्छी मे अच्छी खराब मे खराब 1/9 का खाता विभाजन कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ? —वादी
5. आया प्रतिवादी नं0 1 को वसीयत द्वारा प्राप्त सम्पती स्व अर्जित प्रतिवादी नं0 1 के जीवन काल में कोई हक नहीं बनता है ? —प्रतिवादीगण
6. आया वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम अंकित बतौर खातेदार होने से वादी उसमें कोई हिस्सा नहीं रखता है ? — प्रतिवादीगण
7. आया वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त ना होने से वे भूमि पर किसी प्रकार का हक नहीं रखते है ? —प्रतिवादीगण
8. अनुतोष —

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य लिये गये वादी द्वारा स्वंय के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत हुए। प्रतिवादी द्वारा फोटोकापी वसीयत पंजीकृत के अलावा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। बाद प्राप्त करने साक्ष्य तर्क सुने गयै।

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुए निवेदन यिका की वाद ग्रस्त भूमि दरियोसिंह की खातेदारी अंकित है। पेतृक साबित है जिसके वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है इसी अनुसार वाद स्वीकार कर घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1 ने तर्को का खण्डन करते हुए दरियासिंह अंकित खातेदार द्वारा की गई वसीयत 11.08.2000 की और ध्यान दिलाया व तर्क दिया की बचनसिह प्रतिवादी नं0 1 को प्रश्नगत सम्पंती वसीयत से प्राप्त होने से हिन्दू सहदायी सम्पंती की परिभाषा में नहीं आती पूर्व खातेदार ने वसीयत कर इस भूमि के सहदायी होने के तत्व को समाप्त कर दिया द्वितीय इस भूमि पर स्वंय वादी की स्वीकृती से उनकी इच्छा के प्रतिकुल कब्जा बचनसिंह का चला आ रहा है। इसलिये प्रतिकूल कब्जा का सिद्धान्त भी प्रभावशील हो गया इसलिये प्रश्नगत भूमि में वादी का कतई घोषणा पाने का अधिकारी नही व वाद खारीज करने की प्रार्थना की। पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात तर्को के परिपेक्ष मे पूर्ण पत्रावली का पठन व तर्को पर मनन किया गया तनकी वाद निर्णय निम्न प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वाके चक 39 एम.ओ.डी का खाता सं0 73/90 का प0न0 59/243 में 0.759 है0, पं0न0 59/264 में 0.380 है0 कुल 1.139 है0 नहरी खातेदारी भूमि पेतृक भूमि है जो दरिया सिंह पुत्र बघावासिंह से प्राप्त हुई है। भूमि सहदायी है ? —वादी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

— लगातार 3 पर —

उपरोक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिये चक 39 एम.ओ.डी तहसील सूरतगढ़ की भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी का खाता सं0 116 प्रस्तुत किया जिसमें प्रश्नगत कृषि भूमि शामिल करते हुए पं0न0 55/263, 50/264 में 3.874 है0 नहरी भूमि का खाता दरियासिंह के नाम है। किन्तु इस भूमि मे से विशिष्ट भूमि बचनसिंह अकेले के नाम 1.1350 है0 नहरी किस प्रकार से अंकित हुई इस बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया दरिया सिंह द्वारा वीशिष्ट भूमि बचनसिंह को हस्तान्तरित की गई। वसीयत से प्राप्त हुई जमाबन्दी बचनसिह की भूमि सहदायी की परिभाषा में आती है या नहीं कही सन्देह से परे वादी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। जबकि प्रतिवादी ने यह भूमि वसीयत में प्राप्त हुई है यह नकल फोटोकॉपी वसीयत से सिद्ध की है। वर्तमान परिस्थिती में प्रश्नगत भूमि दरियासिह की है यह सिद्ध है किन्तु सहदायी है अथवा नहीं यह सन्देह से परे सिद्ध करने में वादी असफल रहा है इसलिये तनकी नं0 1 सन्देह से परे सिद्ध ना होने से विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

2. आया वादीगण मृतक बूटासिह नं0 1 प्रतिवादीनं0 1 बचनसिंह के वंशज है का 1/9 हिस्सा पेतृक भूमि में बनता है व प्राप्त करने के अधिकारी है ? –वादी

   इस तनकी का भार वादी पर है वादी बचनसिंह के वंशज है मात्र छिन्दो बाई द्वारा कथन किया गया है अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं किया गया। स्वतन्त्र गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। सन्देह से परे यह तनकी सिद्ध नहीं होने मे विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

3. आया वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर पाबन्द करवाने के अधिकारी है ? –वादी

   इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादीगण उक्त भूमि के अंकित खातेदार नहीं है दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध है उनका कब्जा काश्त है यह भी सिद्ध नहीं है स्वंय वादी छिन्दो बाई प्रतिपरिक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका कब्जा 10–15 वर्षो से नहीं है कब्जा बचनसिंह का है। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रश्नगत की भूमि पर वादी का खातेदार होना व कब्जा होना आवश्यक शर्त है। यह शर्त वादी पूरी नहीं करते यह उनके स्वंय के साक्ष्य से सन्देह से परे साबित है उपरोक्त अनुसार तनकी नं0 3 विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है। बहक प्रतिवादी नं0 1 निर्णय की जाती है।

4. आया वादीगण वाद अन्तर्गत भूमि जो पेतृक भूमि है से अच्छी मे अच्छी खराब मे खराब 1/9 का खाता विभाजन कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

   –वादी

   इस तनकी का भार वादी पर था। एंव सम्बन्ध तनकी नं0 1 ता 3 से था जो की सन्देह से परे सिद्ध [illegible] है। अतः तनकी नं0 1 ता 3 के आधार पर तनकी नं0 4 विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

5. आया प्रतिवादी नं0 1 को वसीयत द्वारा प्राप्त [illegible] अर्जित प्रतिवादी नं0 1 के जीवन काल में कोई हक नहीं बनता है ?

   –प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

– लगातार 4 पर –

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था उसकी पंजीकृत वसीयत की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई है। दस्तावेज अकंन जमाबन्दी बचनसिंह से भी यह सिद्ध है कि प्रश्नगत सम्पंती विशिष्ट रूप से किसी दस्तावेज के आधार पर बचन सिंह को प्राप्त हुई है। वसीयत का दस्तावेज यघपी फोटोकॉपी है। किन्तु उसकी पुष्टी हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। इसलिये तनकी नं0 5 सन्देह से परे बहक प्रतिवादी नं0 1 निर्णय की जाती है।

6. आया वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम अंकित बतौर खातेदार होने से वादी उसमें कोई हिस्सा नहीं रखता है ? — प्रतिवादीगण

इस तनकी का भार तनकी नं0 5 से था एंव तनकी नं0 5 बहक प्रतिवादी निर्णय होने से तनकी नं0 6 बहक प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

7. आया वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त ना होने से वे भूमि पर किसी प्रकार का हक नहीं रखते है ? —प्रतिवादीगण

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर था । उस द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ किन्तु वादी स्वंय ने अपने प्रतिपरिक्षण एंव वाद में यह कथन लिया है कि वाद ग्रस्त भूमि में किसी हिस्से पर उनका कब्जा नही है इसलिये इसी आधार पर यह तनकी बहक वादी निर्णय की जाती है। साथ ही तनकी नं0 5 व 6 का इस पर असर है जो की बहक प्रतिवादी निर्णय की गई।

उपरोक्त अनुसार तनकी नं0 1, 2, 3, 4 विरूद्व वादी व तनकी नं0 5, 6, 7 बहक प्रतिवादी निर्णय की गई। भूमि प्रश्नगत सहदायी सन्देह से परे सिद्ध नही हुई ना ही भूमि पर वादीगण की स्वंय की स्वीकृती से कब्जा है।

अतः वाद उपरोक्त विशलेषण अनुसार सन्देह से परे सिद्ध ना होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। डिक्री जारी। पत्रावली बाद—तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्र.सं. 92/2018 अनवानः–

1. मु– छिन्दो बाई पत्नी बूटासिंह पुत्र बचनसिंह जाती रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मायाबाई
3. गुरमेजसिह
4. राजूसिंह

पुत्र/पुत्रीया स्व. बूटासिंह पुत्र श्री बचनसिह जाति रायसिंख निवासी चक 48 एफ तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर नाबालिंग जरिये वली माता छिन्दो पत्नी स्वं. बूटासिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण –

**बनाम**

1. बचनसिह पुत्र दरियासिंह जाति रायसिख निवासी चक 39 एम.ओ.डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. भागसिंह पुत्र बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 39 एम.ओ.डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. मु. सीमा पत्नी गुरमीतसिंह पुत्री श्री बचनसिंह जाति रायसिंख निवासी 15 ए. तहसील व जिला अनुपगढ़।
4. मु. प्रकाशकौर पत्नी छिन्दासिंह पुत्री बचनसिंह जाति रायसिख निवासी 13 के.एन.डी तहसील रावला जिला अनुपगढ़।
5. उप पंजीयक साहब सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सर्वजीत छावड़ा (अभिभाषक वादी)
2. श्री भगवानदत शर्मा (अभिभाषक प्रतिवादी स0 1, 3, 4)
3. श्री सुखदर्शन सिंह (अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2)
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ (पैरोकार राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 53, 209 आर.टी.ए प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी पेश होने पर हुक्म दिया जाता है कि चक 39 एम.ओ.डी के खाता सं0 73/90 पं0नं0 59/263 में 0.759 है0 नहरी, पं0न0 59/264 में 0.3800 है0 कुल 1.1350 है0 नहरी भूमि जो बचनसिंह के नाम दर्ज है उस भूमि में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने, खाता विभाजन करने, विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने व अन्य अ[illegible] वाद प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई आदेश दिया जाता [illegible] सिद्ध न होने से निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना [illegible]।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ०५ .12.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)